न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिताभ कुमार आदित्य RAS
मुकदमा नं0 : 137/17
प्रकरण दर्ज दिनांक : 11.09.2017
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 17.01.2020

क्षेत्रीय वनाधिकारी सिकराय जरिये केदार लाल गर्ग (रेंजर) तहसील सिकराय जिला दौसा

– वादी

–:बनाम:–

राजस्थान सरकार जरिये

1. भू–प्रबंधक अधिकारी अलवर
2. तहसीलदार सिकराय

– प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती व तरमीम, नक्शा

निर्णय

दिनांक : 17.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दावे के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम वनखण्ड नाहरखोहरा सं. 11ए मोजा उदयपुरा गजट नोटिफिकेशन कमांक/एफ(7)(332) राजस्व /68 दिनांक 15.12.1997 से विज्ञप्ति जारी कर आरक्षित वन के रूप में प्रकाशित किया गया है। उदयुपरा के वनबंदोबस्त ख0नं0 378, 381 कुल रकबा 311 बीघा 19 बिस्वा का है। आराजी ख0 नं0 378 रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी ख0नं0 381 रकबा 152 बीघा 7 बिस्वा है जबकि जमाबंदी अनुसार ख0नं0 381/1 रकबा 171 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी ख0नं0 467/378 रकबा 159 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 330 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है जो अब नंबर परिवर्तन कर दिये गये है। आराजी ख0नं0 378 जूज खसरा होने के कारण वनभूमि की खातेदारी के अलावा 52 अन्य खातेदारों को भी अलॉट है। वनबंदोबस्त नक्शें में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वनसीमा लाल स्याही से दर्शायी गयी है। परन्तु राजस्व विभाग के उपलब्ध नक्शें में वनबंदोबस्त के नक्शें के अनुसार न कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा निजि खातेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से गलत तरीके से नक्शे में तरमीम कर दी है। जो कानून व प्रपत्र के विपरीत होने से काबिले निरस्त व दुरूस्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये लेकिन जवाब पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी पी. डब्लू 1 केदार लाल गर्ग क्षेत्रीय वनाधिकारी सिकराय, पीडब्लू 2 रामजीलाल गुर्जर वनपाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करने के कारण पत्रावली साक्ष्यवादी बंद कर बहस में नियत की गई।

वकीलवादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के वादी का वाद साबित नही है जिस तरमीम को वादी निरस्त करवाना चाहता है। वह तरमीम कौनसी है इसे साबित करने का भार वादी पर था जो वादी साबित नही कर पाये है। वादी का वाद साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है तद्नानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आदिनांक 17.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/1/2020

(हरिताभ कुमार आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय, जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिकराय

व इजलास श्री हरिराम कुमार आदित्य R.A.S.

क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय जरिये केदारलाल शर्मा (रेंजर) रेंज सिकराय जिला दौसा बनाम राज० सरकार जरिये (1) भू-प्रबन्धन अधिकारी अलवर (2) तहसीलदार सिकराय

दावा बाबत दुरुस्ती बाबत भूमि नक्शा निर्णय

मुकदमा न. 137 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरिराम कुमार आदित्य R.A.S.

व हाजिरी सुरेश बोहरा एड मिनजानिब मुद्दई रूबरू पैरोकार सरकार

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है।

निज .... मुवलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

सबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 01 सन् 20 को

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत (signature) 17/1/2020

उपखण्ड अधिकारी

सिकराय जिला-दौसा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible] सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Scanned by CamScanner